राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	4271/2025 राम दयाल जाटव, अध्यापक ग्रेड–3	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	15.09.2025	श्री राम प्रताप सैनी, अभिभाषक
2.	4272/2025 दिनेश कुमार गोचर, अध्यापक ग्रेड–3	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	15.09.2025	श्री राम प्रताप सैनी, अभिभाषक
3.	4273/2025 नमीता पंचाली, अध्यापक ग्रेड–3	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	15.09.2025	श्री राम प्रताप सैनी, अभिभाषक

सुनवाई की दिनांक : 19.09.2025
आदेश की दिनांक : 19.09.2025

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 4271/2025 राम दयाल जाटव बनाम प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक 22.07.2025 के आक्षेपित आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित करके महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, धर्मशाला, कामां, डीग से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नगला दादू, कामां, डीग में अध्यापक ग्रेड III लेवल 1 के पद पर स्थानांतरित किया गया था। (अनुलग्नक–1) आक्षेपित आदेश दिनांक 22.07.2025 के अनुपालन में, अपीलार्थी को वर्तमान नियुक्ति स्थान से दिनांक 23.07.2025 के आदेश द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया था। (अनुलग्नक–2) दिनांक 24.07.2025 के रिलीविंग आदेश के अनुसरण में, अपीलार्थी ने दिनांक 24.07.2025 का ज्वाइनिंग लेटर प्रस्तुत करके वर्तमान नियुक्ति स्थान, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगला दादू, कामां, डीग है, में कार्यभार ग्रहण कर लिया है, (अनुलग्नक–3) दिनांक 22.07.2025 का आक्षेपित आदेश, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 16.07.2025 के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया था, जिसके

द्वारा प्रतिवादियों ने शिक्षकों की अधिकता हेतु निर्देश/अनुसूची जारी की थी। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अंतर्गत जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के अनुमोदन के पश्चात् वर्ष 1993 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ढाणा खेलड़ी, भरतपुर में अध्यापक ग्रेड III लेवल 1 के पद पर नियुक्त किया गया था और अपीलार्थी ने नियुक्ति आदेश के अनुपालन में कार्यभार ग्रहण किया था। अपीलार्थी प्रारंभिक सेटअप का कर्मचारी है और एमजीजीएस में पदस्थ होने के कारण उसे प्रारंभिक विभाग से वेतन प्राप्त करने के बावजूद माध्यमिक सेटअप में दर्शाया गया था और अब उसे 6डी किए बिना ही स्थानांतरित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–5) प्रशासनिक सुधार विभाग के उप सचिव ने एक परिपत्र जारी कर स्थानांतरण पर रोक लगा दी थी और उसके बाद से वही परिपत्र अस्तित्व में है और अब परिपत्र के अनुसार, अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि में किया गया है। अपीलार्थी ने एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि आस–पास रिक्त स्थान उपलब्ध होने के बावजूद अपीलकर्ता का स्थानांतरण दूरस्थ स्थान पर कर दिया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 22.07.2025 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.07.2025 (अनुलग्नक–2) को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, धर्मशाला, कामां, डीग में अध्यापक ग्रेड–2 लेवल 1 के पद के रूप में सेवा कर्तव्यों को जारी रखने की अनुमति दी जावे।

हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विशाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे

राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 4271/2025 राम दयाल जाटव बनाम प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य